Statement of Mr. Mohammed Sabir Guari, son of Mohammed Sadeek Guari holding valid Passport bearing No.S7951367 [Mob No. 8503925905}, aged 33 years (D.O.B.18.10.1986) residing at Ward no.11,Near Idgah Masjid, Laxmangarh,Dist.Sikar,Rajasthan Pin 332311 under Section 108 of the Customs Act, 1962, before the Superintendent, Customs(AIU) at SVPI Airport, Customs, Ahmedabad on 17.02.2020.

मैं, मुहम्मद साबिर गुअरी, आपके द्वारा जारी समन दिनॉक 17.02.2020 के तहत आप के सामने उपस्थित हो रहा हूँ. मुझे धारा 108, सीमा शुल्क 1962 के बारे में समझाया गया है. जिसके तहत मुझे सत्य एवम हकिकत बयान देना है. यदि मेरा बयान गलत साबित होता है, तो मेरे विरुद्ध फौजदारी न्यायालय में मामला दर्ज हो सकता है. मुझे ये भी बताया गया है की मेरा बयान मेरे खिलाफ या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ किसी भी न्यायिक अदालत या विभागीय करवाई में उपयोग किया जा सकता है ये समझने के बाद मैं अपना सच्चा और स्वैछिक बयान प्रस्तुत कर रहा हू.

मेरा नाम मुहम्मद साबिर गुअरी है, मेने ५ फ़ैल तक पढाई की है, मेरे परिवार में माता पिता और बहेन तथा मेरी पत्नी है, और लक्ष्मणगढ़ गाव में रहेते है. पिताजी का नाम सादिक ,माता का नाम नजमा बानू, बेहेन का फातिमा , पत्नी का नाम शब्नम बानू है . मुझे मारवाड़ी और हिन्दी लिखना और बोलना और पढना आता है, २००९ तक मजदूरी किया अपने गाव में , २००९ में सिउदी अरब गया था, और वहां मजदूरी करता था .मुझे रियाध में सरफराज नाम का व्यक्ति मिला था जो उत्तर प्रदेश का निवासी है मुझे बोला की वह सोने का बिस्कुट ४८५०० सऊदी रियाल में खरीदेगा उसमें मुझे ५००० रियाल देने होंगे और सोने का बिस्कुट मुझे इंडिया ले जाना होगा और इंडिया में वह किसी को भेज कर सोने का बिस्कुट ले जायेगा और मुझे ५००० रियाल जो ७०००० रुपये होते है पर वह १००००० रूपये देगा बोला और में सहमत हो गया और 14.2.2020 को सरफराज सोने का २५० ग्राम का बिस्कुट ले कर आया और मुझे २५० सोने का बिस्कुट और उसका बिल 16.2.2020 को सुबह में दे दिया और बिल जो उसने मेरे नाम से बनवाया था आपको अपने हस्ताक्षर करके दे रहा हूँ . सोने का बिस्कुट मेने पासपोर्ट वाले छोटा बैग में छुपा लिया. 16/02/2020 को में कुवैत एयरलाइन्स फ्लाइट रियाध से १:१० बजे बैठा था और कुवैत २:१० बजे उत्तर गए और कुवैत से रात 8:२० कुवैत एयरलाइन्स KU 345 से 02:10 बजे अहमदाबाद एअरपोर्ट पहोचे उसके बाद ग्रीन चैनल से निकल रहे थे तब कस्टम अचिकारी ने मुझे और विक्रमकुमार को रोका, 2 गवाह के सामने मेरे दो कारटून,एक हैण्ड बैग और छोटे वाले बैग X रे मशीन में डाल के चेक किया और कस्टम अधिकारी ने बताया की मेरे छोटे वाले बैग में काला इमेज दिख रहा है और मुझे छोटे वाले बैग खोलने को कहा और उसमे से मैंने छुपाये हुआ सोने का बिस्कुट निकलवाया , फिर मुझे DFMD मशीन से जाने को कहा और जाने से पहेले मुझे अधिकारी ने अपने बदन पर से धातु के वास्तु निकलने को कहा और मेने अपना बल्ट मोबाइल निकाला और फिर DFMD मशीन से निकला और तब मशीन में कोई आवाज सुनाई नहीं दिया, उसके बाद कस्टम अधिकारिओ ने सरकारी मान्य मूल्याङ्कन को बुलाया और उन्होंने सोने का बिस्कुट जाच कर के बताया के ये सोना का बिस्कुट 24केरेट का है और 999.0 शुद्धता का है, और मेरे पास मिला सोने का बिस्कुट का वजन २५० ग्राम है और जिसका कुल बाजार मूल्य रूपये 10,59,000/- (दस लाख उनसठ हजार रूपये) है । ये कस्टम अधिकारिओ ने मेरे से मिला सोने का बिस्कुट को कस्टम एक्ट के तहेत पंचनामा के अन्दर जप्त कर लिया .

साबीर

17/2/2020

मैं बताता हूँ की मैंने जान बूझकर सोने को डिक्लेअर नहीं किया था क्यूंकि मैं सोने को बिना कस्टम शुल्क भुगतान किये निकलना चाहता था . मैं जानता हूँ की सोने को बिना शुल्क भुगतान के निकालना , शुल्क चोरी के इरादे से , कस्टम्स एक्ट,१९६२ के तहत कानूनी अपराध है . मैं स्वीकार करता हूँ की मेरे पास से पायी गयी एक सोने का बिस्कुट कुल वजन २५० ग्राम है तथा जिसका कुल बाजार मूल्य रूपये 10,59,000/- (दस लाख उनसठ हजार रूपये), मैं कस्टम्स शुल्क भुगतन की चोरी के उद्देश्य से लाया था । में आगे ये कहेना चाहता हु की में पहेली बार विदेश गया हु, इससे पहेले कभी नहीं गया और कोई अपराधिक कार्य नहीं किया

पर.1. आपके कितने बैंक अकाउंट है?

उत्तर. मेरा एक बैंक अकाउंट नहीं है

प्र. 2. आप की आमदनी कितनी है?

उत्तर. मेरी आमदनी १५००० महिना है?

प्र. 3 आप का पान कार्ड नंबर बताइए?

उत्तर. पान कार्ड नहीं है .

प्र. 4 अहमदाबाद एअरपोर्ट से कहा जाने वाले थे?

उत्तर. अहमदाबाद एअरपोर्ट से अपने घर लक्ष्मणगढ़ जाने वाला था.

प्र 5 सरफराज के पास सोने के बिस्कुट खरीदने के बाकि के 43,500 रियाल कहाँ से आये ?

उत्तर सरफराज के तनख्वाह अच्छी कयों के वह फोर्मन है

उपरोक्त के अलावा मुझे फ़िलहाल और कुछ नहीं कहना है | आगे जब भी मेरी जरुरत इस इन्वेस्टीगेशन में पड़ेगी मैं बयान देने आ सकता हूँ | मेरा यह बयान मेरे कहने पर हिन्दी भाषा में मेरे कथनानुसार, कस्टम्स (ए.आई.यु.) एस.वी.पी.आई. हवाई अड्डे, टर्मिनल-2 अहमदाबाद की ऑफिस में कंप्यूटर पे टाईप किया गया है | मैंने यह बयान अपने पूर्ण होश हवास में दिया है । मुझे कोई धाक धमकी नही दी गयी है । धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई गयी है । यह बयान मैं पढ़ने और समझने के बाद दिनाँकित हस्ताक्षर कर रहा हूँ।

शाकीर
17/2/2020
(मुहम्मद साबिर गुअरी)

मेरे समक्ष
17/2/2020
(ज्योतिमोन देथान)
सुपरिन्टेन्डेन्ट (AIU), कस्टम्स,
SVPI एअरपोर्ट, अहमदाबाद.